





9365
2021/202

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं. 69 / 2021 अन्तर्गत धारा 212 RT Act

विनोद बनाम अनिल कुमार उर्फ सतवीर आदि

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.21	<p>प्रार्थी की ओर श्री सोमवीर सिंह एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम तोखा का बास स्थित हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 9.87 है., में प्रार्थी का हिरसा 81/1976 भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 13.08.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ</p>	
13/8/21	<p>आज पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिफेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं/अनगण पर हैं। मिसाल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 27/8/21 को पेश हो।</p>	NOT Prols.
17/8/21	<p>प्रार्थी विनोद द्वारा शीघ्र पत्रावली का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि वह इस पत्रावली आपली राजीनामा से गया। अतः प्रार्थी पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अगले वही यज्ञा चाहते हैं। प्रार्थना पत्र को NOT PROSS करने की अनुमति प्राप्त हुई। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र वाक अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी तरह पर NOT PROSS करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को इसी तरह पर NOT PROSS में जारी किया जा रहा है। पत्रावली तलब है प्रार्थी को तलब वरु के तलब (तलब) है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ</p>	Vinod Kumar
		पत्रावली
		
		
		वे दो देवी
		